फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नेपालसिंह बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 59/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2, 3/1, 6 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से करा कर रसीद व डिलिवरी सर्टिफिकेट पेश किये गये। डिलिवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 2, 3/1, 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2, 3/1, 6 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3/1, 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी संख्या 1, 2 तथा खातेदार फतहकुंवर के नाम अंकित है, कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी संख्या 3 से 6 व खातेदार फतहकुंवर के नाम अंकित है तथा कलम संख्या 3 में वर्णित भूमि प्रार्थी संख्या 1, 2, 7 व फतहकुंवर के नाम अंकित है। खातेदार फतहकुंवर की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान 1, 2 है। उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी विपक्षी संख्या 2 से 8 है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगणों में आये दिन विवाद होता है जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार है। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा (जांगीर), तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 219 की आराजी न. 1262, 1264, 1611/550, 1612/559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 किता 10 रकबा 1.8900 है. भूमि, खाता संख्या नया 144 की आराजी न. 557, 566, 567 किता 3 रकबा 0.5800 है. भूमि, खाता संख्या नया 359 की आराजी न. 1261 किता 1 रकबा 0.8400 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested